न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :— ..../पी.बी.आर./2016 निगरानी

नारायण सिंह पुत्र श्री दलपत सिंह राजपूत निवासी ग्राम कांदीखेड़ा तहसील मक्सूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश —प्रार्थी

बनाम

म. प्र. शासन द्वारा कलैक्टर गुना —प्रतिप्रार्थी

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 08/06/2016 न्यायालय कलैक्टर जिला गुना प्रकरण क्रमांक 31/स्व.निगरानी/2012—2013 मध्य प्रदेश शासन बनाम नारायण सिंह।

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

सक्षिप्त विवरण :—

1— यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, सुमंत्राबाई पत्नी स्व. श्री गोपया हरिजन निवासीग्राम खेराड़ तहसील मक्सूदनगढ़ द्वारा जन शिकायत निवारण मन्त्रालय (Website) भोपाल को शिकायती आवेदन पेश कर बताया गया कि, ग्राम खेराड़ की भूमि सर्वे क्रमांक 661/6 रकवा 1.022 हैक्टर पर नारायण सिंह मास्टर ने कब्जा कर लिया है, अवैध कब्जा हटवाया जावे।

2— यह कि, उक्त सुमंत्राबाई की शिकायत पर से सर्वे क्रमांक 661/1 रकवा 1.022 हैक्टर जाँच मे लिया गया, जाँच तहसीलदार मक्सदनगढ द्वारा की गई।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग.4298-पीबीआर/2016 जिला- गुना

नारायण सिंह विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२२-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला- गुना के प्रकरण क्रमांक 31/स्वमेवनिगरानी/12-13 में पारित आदेश दिनांक 08.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, जिला - ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 10-10-19 को आयुक्त, जिला ग्वालियर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	